मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 4-5/2006/दो-ए(3)   भोपाल, दिनांक 15-9-06

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश ।

विषय- वाहन चालकों को दो जोड़ हैण्डलूम पोलिस्टर वर्दी का प्रदाय ।
संदर्भ- इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ 4-1/92/दो-ए(3) दिनांक 16.1.1992 एवं इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ 4-5/97/दो-ए(3) दिनांक 31.12.1997 एवं 8.1.2000

— 0 —

विभागीय ज्ञाप क्रमांक एफ 4-1/92/दो-ए(3) दिनांक 16.1.1992 द्वारा समस्त शासकीय वाहन चालकों को दी जाने वाली दो जोड़ वर्दी में एक वर्दी सूती (हैण्डलूम) एवं एक वर्दी पोलिस्टर खादी की प्रदाय किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे ।

अब राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विभागीय आदेश क्रमांक एफ 4-5/1997/दो-ए(3) दिनांक 8.1.1998 के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भांति समस्त शासकीय वाहन चालकों को भी प्रदाय की जाने वाली दोनों जोड़ वर्दी हैण्डलूम पोलिस्टर की प्रदाय की जाये ।

इस पर होने वाला व्यय संबंधित विभागीय बजट के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(गीता मिश्रा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

निरंतर........

भोपाल, दिनांक 15-9-06

पृ०क्र०एफ 4-5/2006/दो(3)

प्रतिलिपि-

1. पंजीयक, उच्च न्यायालय, म०प्र०जबलपुर
2. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, म०प्र०इंदौर
3. राज्यपाल के सचिव, म०प्र०भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, म०प्र०भोपाल
5. अवर सचिव (अधीक्षण) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
6. अवर सचिव (स्थापना) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
7. मुख्य लेखा अधिकारी, म०प्र०मंत्रालय, भोपाल
8. अधीक्षक, म०प्र०स्टेट गैरेज, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
गृह विभाग

//शेन्डे, 15906//